

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्रामियर सर्किंट कोटि रुपाम ५०



R. 2533-11/12
मोतीलाल तनय रामकुमार ब्रा० निवासी ग्राम जौड़ौरी तहसील मनगवा
जिला रीवा सोडी म० ५०

--- आवैदक

दिनांक २०४७

संस्थापन पोस्ट फँक्स आज
१५ अप्रैल २०१२ को प्राप्त

बनाम

१०.	लालमणि	पितरान रामकुमार ब्रा० निवासी ग्राम जौड़ौरी
२०.	श्यामलाल	तह० मनगवा जिला रीवा म० ५०
३०.	हीरलाल	

२०४७ रि कृष्ण तिवारी उपर्युक्त तनय श्री श्यामलाल ब्रा० निवासी ग्राम जौड़ौरी
तहसील मनगवा जिला रीवा म० ५० --- आवैदकगण

अधिकारी अधिकारी अधिकारी

कार्यालय

श्रीवा. दि० १०.०२.२०१२

10/02/12

निगरानी विद्युत आज्ञा श्री अनुविभागीय अधिकारी
क्षेत्र मनगवा तहसील मनगवा जिला रीवा म० ५०
बापत राजस्व अपील क्रमांक ५५४/६/२०११ - १२

आवैदक दिनांक २०.५.२०१२

निगरानी अन्तर्गत धारा ५० म० ५० राजस्व
संहिता । १५२५०

मान्यवर,

अन्यके अतिरिपत निगरानी के आधार निम्न हैः -

१०. यह कि अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत

है।

मोतीलाल

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक निरा/2533-II/12

जिला-रीवा

मोतीलाल ब्रा०/ लालभणि ब्रा० वगैरः

(1)	(2)
19.12.18	<p>1. आवेदक की ओर से श्री अभिताब चतुर्वेदी अधिवक्ता द्वारा यह निरानी अनुविभागीय अधिकारी, तहसील मनगवां, जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 54/ए-६/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 29.05.12 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म०प्र० भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 15.03.19 को कलेक्टर रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">✓ सदस्य</p> <p style="text-align: center;"></p>